राजस्व आवेदन संख्या 318/2024
उनवान भारूराम बनाम पीराराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 318/2024

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भारूराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी खारी तहसील सेड़वा जिला बाडमेर।		1. पीराराम पुत्र काना 2. रामाराम पुत्र काना 3. अमेदी पत्नी काना 4. इसा पुत्र खरता 5. कला पुत्र खरता 6. जैसा पुत्र खरता 7. उदाराम पुत्र पोकरराम 8. ओमप्रकाश पुनिया पुत्र पोकरराम 9. मोहित पुनिया पुत्र पोकरराम 10. रायचंदराम पुत्र पोकरराम 11. ललित किशोर पुनिया पुत्र पोकरराम 12. वालाराम पुत्र पोकरराम 13. खेतू देवी पत्नी पोकरराम 14. गुणेशा पुत्र जीया 15. डालु पुत्र जीया 16. सूखा पुत्र जीया 17. वरजू पत्नी जीया 18. गेना पुत्र सूरा 19. डूंगर पुत्र अलसा 20. वगता पुत्र अलसा 21. हड्डमान पुत्र अलसा 22. हीरा पुत्र अलसा 23. दुर्गाराम पुत्र मोटा 24. रामू पुत्र मोटा 25. वीरमाराम पुत्र मोटा 26. भीयाराम दत्तक पुत्र हथुदेवी पत्नी मोडाराम 27. हथुदेवी पत्नी मोडाराम जातियान जाट निवासी खारी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 28. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थी वकील –श्री श्रीराम विश्नोई

विप्रार्थी संख्या 01 से 27 के वकील – श्री घेवरराम देवासी

–: निर्णय :– **दिनांकः–23.04.2025**

प्रार्थी भारूराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी खारी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण संख्या 01 से 27 तक की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा खारी पटवार हल्का तरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 102 रकबा 57.1982 हैक्टेयर किस्म वारानी सोयम, खसरा संख्या 103 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 104 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 105 रकबा 29.0807 हैक्टेयर किस्म वारानी दोयम, खसरा संख्या 117 रकबा 5.5280 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 119 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 248/37

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

रकबा 2.5495 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 250/37 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 273/75 रकबा 3.5612 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 275/75 रकबा 2.3876 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 74 रकबा 1.6835 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 77 रकबा 3.2294 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम जुमले रकबा 106.2541(656–08 बीघा) के आए हुए है। प्रार्थी के पिता मुलाराम के फौत होने पर हल्का पटवारी फागलिया द्वारा नामान्तरकरण भरकर पारित करवाया गया जिसमें प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण पारित किया गया था, जिसमें भूलवश प्रार्थी का नाम भारू राम पुत्र मुलाराम के स्थान पर भारमल पुत्र मुला अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी का नाम भारू राम पुत्र मुलाराम है। लेकिन भूलवश राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम भारमल पुत्र मुला अंकित कर दिया है, लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम भारू राम पुत्र मुला राम है। आधार कार्ड, मतदान परिचय पत्र तथा राशनकार्ड, पेनकार्ड, बैंक डायरी, जनआधार व अन्य समस्त राजकीय दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम भारू राम पुत्र मुलाराम है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकित होने से प्रार्थी को अपने खेतों का अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कृषि ऋण की आवश्यकता होने पर बैंकों आदि में आवेदन करने पर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इससे प्रार्थी को अपने खातेदारी हकूकों पर भी भारी कुठाराघात होने की संभावना है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खेत मौजा खारी पटवार हल्का तरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 102 रकबा 57.1982 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 103 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 104 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 105 रकबा 29.0807 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 117 रकबा 5.5280 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 119 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 250/37 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 275/75 रकबा 2.3876 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 74 रकबा 1.6835 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 77 र[illegible]94 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

जुमले रकबा 106.2541(656–08 बीघा) भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम भारमल पुत्र मुला के स्थान पर भारूराम पुत्र मुलाराम करने का आदेश फरमाया जावें।''

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थी संख्या 01 से 27 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम देवासी ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/84 दिनांक 21.01.2025 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2025/666 दिनांक 18.03.2025 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **''मौजा खारी पटवार हल्का तरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 102 से 105, 117, 119, 248/37, 250/37, 273/75, 275/75, 74, 77 जुमले रकबा 106.2541 हैक्टेयर भूमि का मौके पर उपस्थित खातेदारों के रूबरू रेकर्ड का अवलोकन किया गया एवं मोतबरानों व खातेदारों से नाम दुरुस्ती के संबंध में पूछताछ की गई। प्रार्थी भारमल उर्फ भारूराम ने शपथ पत्र पेश कर बताया गया कि बचपन में मुझे भारमल उर्फ भारूराम नाम से पुकारते थे। मेरा नाम भूलवश राजस्व रेकर्ड में भारमल दर्ज हो गया। मेरा सही नाम भारूराम है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड नंबर 908413895265, राशनकार्ड, जॉब कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि में भी भारूराम दर्ज है। प्रार्थी भारूराम के पुत्र मांगाराम व भोमाराम के पुत्रों के साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड, 10 वीं मार्कशीट इत्यादि में भी पिता का नाम भारूराम दर्ज है। अतः ग्राम खारी के खसरा संख्या 102 से 105, 117, 119, 248/37, 250/37, 273/75, 275/75, 74, 77 जुमले रकबा 106.2541 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी भारमल पुत्र मुला के स्थान पर भारूराम पुत्र मूला नाम दुरुस्ती किया जाना उचित है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित करवाए गए।''** पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्राथीगण अधिवक्ता व विप्रार्थी संख्या 01 से 27 के अधिवक्ता ने बहस की। विप्रार्थी संख्या 01 से 27 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 318/2024 उनवान भारूराम बनाम पीराराम वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन **प्रार्थी भारूराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी खारी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर** का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी खेत मौजा खारी पटवार हल्का तरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 102 रकबा 57.1982 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 103 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 104 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 105 रकबा 29.0807 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 117 रकबा 5.5280 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 119 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 248/37 रकबा 2.5495 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 250/37 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 273/75 रकबा 3.5612 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 275/75 रकबा 2.3876 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 74 रकबा 1.6835 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 77 रकबा 3.2294 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम जुमले रकबा 106.2541(656—08 बीघा) **भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भारमल पुत्र मुला के स्थान पर भारूराम पुत्र मूला करने के आदेश दिए जाते है**, तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/666 दिनांक 18.03.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.01.2025 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:41 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द

आज दिनांक 31/01/2025 को श्रीमान तहसीलदार महो० सेड़वा के आदेश क्रमांक/ रे.अ./ 190-191 दिनांक 27/01/2025 तथा मा० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व फावेदन सं. 318/2024 उनवान भाकराम बनाम पीराराम वगैरा अन्तर्गत 136 RLR Act में मौजा खारी प०म० नरला के खेत खसरा सं. 102, से 105, 117, 119, 248/37, 250/37, 273/75, 275/75, 74, 77 जुमले रकबा 106.2541 हे० में भारमल पुत्र मुला के स्थान पर भाकराम पुत्र मूलाराम नाम दुरुस्ती की मौका रिपोर्ट तैयार करने मौके पर आया।

मौके पर उपस्थित खातेदारो के समक्ष रेकर्ड का अवलोकन किया गया एवं मौतबरानो व खातेदारो से नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में पुछताछ की गई प्रार्थी भारमल उर्फ भाकराम ने शपथ पत्र पेश कर बताया गया कि बचपन मे मुझे भाकराम नाम से बुलाते थे मेरा नाम भुलवश राजस्व रेकर्ड में भारमल दर्ज होगया मेरा सही नाम भाकराम है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड न. 908413895265, राशनकार्ड, जोबकार्ड, पेनकार्ड इत्यादि मे भी भाकराम दर्ज है प्रार्थी भाकराम के पुत्र मांगाराम व भोमाराम के पुत्रो के साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड, 10th मार्कशीट इत्यादि मे भी पिता का नाम भाकराम दर्ज है।

अतः ग्राम खारी के खसरा सं. 102 से 105, 117, 119, 248/37, 250/37, 273/75, 74, 77 जुमले रकबा 106.2541 हेक्टर भूमि में प्रार्थी भारमल पुत्र मुला के स्थान पर भाकराम पुत्र मूला नाम दुरुस्ती किया जाना उचित है।

मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/ अंगुष्ठ निशान अंकित करवाये गये।

31/01/2025

निरीक्षक (रे.अ.) पनोरिया

तहसीलदार सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:41 IST
Reason: SelfAttested

ओमप्रकाश

मोहित

भोमाराम

नि० भाकराम